

आदर्श आचार संहिता

प्रलिस के ललल:

[आदर्श आचार संहिता](#) (MCC), [भारत नरलवाचन आयोग](#) (ECI)

मेन्स के ललल:

MCC के वकलस में ECI की भूमकल, आदर्श आचार संहलतल - चुनलवों में महत्त्व और इसकी आलोकनल

चर्चल में क्युँ?

जैसे-जैसे कर्नलटक वधलनसभल चुनलव करीब आ रहे हैं, रलजनलतकल दल एक-दूसरे के खलललफ अभदर भलषल कल प्रयोग करने के आरुप लगल रहे हैं ।

- [आदर्श आचार संहलतल \(MCC\)](#) के उल्लंघन को लेकर पलर्टललुँ ने भारत नरलवाचन आयोग (ECI) से शकलत की है ।

आदर्श आचार संहलतल (MCC):

■ परचलल:

- यह नरलवाचन आयोग दवलरल चुनलव से पूर्व रलजनलतकल दलुँ और उनके उम्मीदवलरुँ के वनलतलमन तथल स्वतंत्र और नषलपकष चुनलव सुनशलचतल करने हेतु जलरी दशल-नरलदेशुँ कल एक समूह है ।
- यह भारतीय संवधलन के [अनुच्छेद 324 के अनुरूप है](#), जसलके तहत नरलवाचन आयोग (EC) को संसद तथल रलज्य वधलनसभललुँ में [स्वतंत्र एवं नषलपकष चुनलवुँ](#) की नगरलनी और संचलन करने की शकतल दी गई है ।
- आदर्श आचार संहलतल उस तलरीख से ललगू हो जलती है जब नरलवाचन आयोग दवलरल चुनलव की घुषणल की जलती है और यह चुनलव परणलम घुषतल होने की तलरीख तक ललगू रहती है ।

■ वकलस:

- आदर्श आचार संहलतल की शुरुआत **सरवप्रथम वर्ष 1960** में केरल वधलनसभल चुनलव के दुरलन हुई थी, जब रलज्य प्रशलसन ने रलजनलतकल दलुँ और उनके उम्मीदवलरुँ के ललल एक 'आचार संहलतल' तैयलर की थी ।
- इसके पशुचलत् वर्ष 1962 के लुकसभल चुनलव में नरलवाचन आयोग (EC) ने सभल मलन्यतल प्रलप्त रलजनलतकल दलुँ और रलज्य सरकलरुँ को फीडबैक के ललल आचार संहलतल कल एक प्रलरूप भेजल, जसलके बलद से देश भर के सभल रलजनलतकल दलुँ दवलरल इसकल पलन कतल जल रहा है ।
- वर्ष 1991 में चुनलव के नतलमों के बलर-बलर उल्लंघन और भ्रषुटलचलर जलरी रहने के बलद चुनलव आयोग ने MCC को और सखती से ललगू करने कल फैसलल कतल ।

■ रलजनलतकल दलुँ और उम्मीदवलरुँ हेतु MCC:

○ प्रतर्बलधतल:

- रलजनलतकल दलुँ की आलोकनल केवल उनकी नीतलतलुँ, कलर्यकर्मुँ, पछलले रकलरुँड और कलर्य तक सीमतल होनी चलहतल ।
- जलतगत और सलंप्रदलतकल भलवनललुँ को आहत करने, असतुतलपतल रपुलरुँटुँ के आधलर पर उम्मीदवलरुँ की आलोकनल करने, मतदलतललुँ को रशलवत देने यल डरलने और कसलली के वचलरुँ कल वरलध करते हुए उसके घर के बलहर प्रदरशन यल धरनल देने जैसी गतवलधतलतलुँ पूर्णतः नषलदलध हैं ।

○ बैठकुँ:

- पलर्टललुँ को कसलली भी बैठक के सथलन और समय के बलरे में **सथलनीय पुलसल अधकलरलतलुँ को समय पर सूचतल करना चलहतल** तलकल पुलसल परतुत सुरकषल वतवसथल कर सके ।

○ जुलूस:

- यदि दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग से जुलूस निकालने की योजना बनाते हैं, तो राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करने के लिये पहले से संपर्क कर लेना करना चाहिये ताकि जुलूस में आपसी टकराव न हो।
- राजनीतिक दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों को पुतले ले जाने और जलाने की अनुमति नहीं है।
- चुनाव के दिन:
 - केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग से प्राप्त वैध पास वाले लोगों को ही मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति होती है।
 - मतदान केंद्रों पर सभी अधिकृत पार्टी कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बैज अथवा पहचान पत्र दिया जाना चाहिये।
 - उनके द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज़ पर होगी और उसमें कोई प्रतीक, उम्मीदवार का नाम अथवा पार्टी का नाम नहीं होगा।
- परेक्षक:
 - कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के संबंध में समस्याओं की रपिर्ट चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों को कर सकता है।
- सत्ताधारी पार्टी:
 - MCC ने सत्ताधारी पार्टी के आचरण को वनियमिति करते हुए वर्ष 1979 में कुछ प्रतिबंधों को शामिल किया। मंत्रियों की आधिकारिक यात्राएँ और चुनाव कार्य पृथक होने चाहिये अथवा चुनाव कार्य के लिये आधिकारिक साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिये।
 - पार्टी को सरकारी संसाधनों की कीमत पर वजिज़ापन देने अथवा चुनावों में जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिये उपलब्धियों के प्रचार हेतु आधिकारिक जन मीडिया का उपयोग करने से बचना चाहिये।
 - आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा किये जाने के समय से मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करनी चाहिये, सड़कों के निर्माण, पीने के जल की व्यवस्था आदि का वादा नहीं करना चाहिये। अन्य दलों को सार्वजनिक स्थानों तथा वशिरामगृहों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये और इन पर सत्ताधारी पार्टी का एकाधिकार नहीं होना चाहिये।
- चुनावी घोषणापत्र:
 - भारतीय नरिवाचन आयोग का नरिदेश है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को किसी भी चुनाव (संसद/राज्य विधानमंडल) के लिये चुनावी घोषणा पत्र जारी करते समय निम्नलिखित दिशा-नरिदेशों का पालन करना आवश्यक है:
 - इस चुनाव घोषणापत्र में संविधान में नरिहित आदर्शों और सदिधांतों के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा।
 - राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिये जिनसे चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता धूमलि होने या मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने की संभावना हो।
 - घोषणापत्र में वादों के औचित्य को प्रतिबिंबित करना चाहिये और इसके लिये वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों एवं साधनों को व्यापक रूप से इंगति करना चाहिये।
 - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत एकल या बहु-चरणीय चुनावों के लिये नरिधारित प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान घोषणापत्र जारी नहीं किया जाएगा।

MCC में कुछ हालिया परिवर्द्धन:

- ECI द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान **ओपनिथिन पोल और एगजटि पोल** का वनियमन।
- मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले **प्रटि मीडिया में वजिज़ापनों पर प्रतिबंध** जब तक कि विषय-वस्तु स्क्रीनिंग समितियों द्वारा पूर्व-प्रमाणित न हो।
- चुनाव अवधि के दौरान **राजनीतिक पदाधिकारियों की विशेषता** वाले सरकारी वजिज़ापनों पर प्रतिबंध।

MCC कानूनी रूप से लागू करने योग्य:

- हालाँकि MCC के पास कोई वैधानिक समर्थन नहीं है, लेकिन नरिवाचन आयोग द्वारा इसके सख्त प्रवर्तन के कारण पछिले एक दशक में इसने शक्ति हासिल की है।
 - MCC के कुछ प्रावधानों को **IPC 1860, CrPC 1973 और RPA 1951** जैसे अन्य कानूनों में संबंधित प्रावधानों के साथ लागू किया जा सकता है।
- वर्ष 2013 में कार्मिक, लोक शकियात, कानून एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति ने MCC को कानूनी रूप से बाध्यकारी तथा RPA 1951 का हसिसा बनाने की सफिरशि की।
- हालाँकि ECI इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के खिलाफ है। इसके अनुसार, चुनावों को अपेक्षाकृत कम समय या 45 दिनों के करीब पूरा किया जाना चाहिये क्योंकि न्यायिक कार्यवाही में सामान्यतः अधिक समय लगता है, इसलिये इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाना संभव नहीं है।

MCC की आलोचनाएँ:

- कदाचार पर अंकुश लगाने में अपरभावी:

